# निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना

**(भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत)**

**1. संक्षिप्त नाम, उद्देश्य, विस्तार, परिधि और लागू होना –**

1.1 यह योजना ''निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना'' कहलाएगी। यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22(1)(ई) सपठित राजस्थान नियम, 2009 के नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत प्रवर्तित की जाती है।

1.2 इस योजना का उद्देश्य मण्डल की शिक्षा व कौशल विकास की विद्यमान 3 योजनाओं (शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना, मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना तथा कौशल शक्ति योजना) को एकीकृत कर तथा देय हितलाभ में अभिवृद्धि कर निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों के बच्चों की शिक्षा व कौशल विकास को प्रोत्साहित करने की एकीकृत योजना बनाकर लागू करना है।

1.3 यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी।

1.4 यह योजना 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी।

**2. परिभाषाएँ –**

इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

2.1 ''अधिनियम'' का आशय भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) से अभिप्रेत है;

2.2 ''नियम, 2009, का आशय राजस्थान भवन और संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का नियमन) नियम,2009 से अभिप्रेत है;

2.3 ''मण्डल'' का आशय धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान से अभिप्रेत है;

2.4 ''सचिव'' का आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है ;

2.5 ''शिक्षा स्तर'' का तात्पर्य कक्षा पहली से स्नातक तथा स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं से अभिप्रेत है। प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से 5 तक, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8वीं तक, माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 9 से 10वीं तक, उच्च माध्यमिक में कक्षा 11वीं से 12वीं तक, स्नातक स्तर में बी.ए., कॉम, बी.एस.सी, बी.ई., एम.बी.बी.एस. तथा अन्य सभी स्नातक पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर में एम.ए., एम.कॉम, एम.एस.सी. , एम.ई, एम.डी., एम.एस. एम.सी.ए. आदि पाठ्यक्रम तथा आईटीआई व डिप्लोमा एवं अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम आदि शामिल है।

2.6 ''डिप्लोमा'' से आशय पॉलिटेक्नीक, इंजीनियरिंग तथा अन्य डिप्लोमा से है तथा प्रोफेशनल कोर्स से आशय चिकित्सा, अभियांत्रिकी, बीई, बीटेक, एमबीए, एमडी, एमएस, एमटेक, एमसीए आदि कोर्स से है।

2.7 जिन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों/कोर्सेज में दाखिला लेने की न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा निर्धारित है, उनके लिए डिप्लोमा स्तर की छात्रवृत्ति देय होगी तथा जिन डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रमों/कोर्सेज में दाखिला लेने की न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता, स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करना निर्धारित है, उनके लिए क्रमशः स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की छात्रवृत्ति देय होगी।

2.8 ''छात्र'' का तात्पर्य उन छात्र/छात्राओं से है जो किसी शासकीय शिक्षण संस्था में या केन्द्र/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त गैर–शासकीय/निजी शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं;

2.9 विशेष योग्यजन से आशय Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों में यथा परिभाषित विशेष योग्यजन से है।

2.10 ''शिक्षण संस्था'' का आशय, शासकीय तथा केन्द्र/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त गैर–शासकीय/निजी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था, जिसके अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, डिप्लोमा आदि का शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य संचालित किया जाता है, अभिप्रेत है।

2.11 ''परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन'' उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/राज्य नियम 2009 में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/राज्य नियम 2009 में परिभाषित है।

### 3. योजना में देय हितलाभ –

इस योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को निम्न दर से छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि देय होगी :–

| छात्रवृति | कक्षा 6 से 8 | | कक्षा 9 से 12 | | आईटीआई | | डिप्लोमा* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | छात्र | छात्रा/विशेष योग्यजन | छात्र | छात्रा/विशेष योग्यजन | छात्र | छात्रा/विशेष योग्यजन | छात्र | छात्रा/विशेष योग्यजन |
| राशि रू. | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 |

| छात्रवृति | स्नातक (सामान्य) | | स्नातक (प्रोफेशनल)* | | स्नातकोत्तर (सामान्य) | | स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | छात्र | छात्रा/विशेष योग्यजन | छात्र | छात्रा/विशेष योग्यजन | छात्र | छात्रा/विशेष योग्यजन | छात्र | छात्रा/विशेष योग्यजन |
| राशि रू. | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 15,000 | 17,000 | 23,000 | 25,000 |

| मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार | कक्षा 8 से 10 | कक्षा 11–12 | डिप्लोमा | स्नातक | स्नातकोत्तर | स्नातक (प्रोफेशनल)* | स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राशि रू. | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 8,000 | 12,000 | 25,000 | 35,000 |

*(परिभाषा के बिन्दु संख्या 2.6 में यथा परिभाषित)

### 4. पात्रता एवं शर्तें –

इस योजना में छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए निम्न पात्रता व शर्तें निर्धारित की जाती है:–

4.1 मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो;

4.2 हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नि ही शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के लिए पात्र होंगे;

4.3 हिताधिकारी की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नी को ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी, परन्तु यदि पति–पत्नि दोनों पंजीबद्ध हिताधिकारी हों तो पति–पत्नि के अधिकतम दो बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। परन्तु मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार के लिए कोई सीमा नहीं होगी;

4.4 कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर की कक्षा में सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो; अथवा

4.5 राज्य में संचालित सरकारी या मान्य निजी आईटीआई एवं पॉलीटेक्नीक पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत हो;

4.6 मेधावी छात्र–छात्रा द्वारा नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 से 12 वीं तक की परीक्षा 75% अंक या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में (चिकित्सा, इंजिनियरिंग या अन्य प्रोफेशनल परीक्षा सहित) 60 प्रतिशत या अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त की हो/उत्तीर्ण की हो;

4.7 हिताधिकारी की पत्नि को छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो तथा शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत हो;

4.8 किसी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पश्चात् ही देय होगी;

4.9 ग्रीष्म अवकाश के बाद शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था खुलने पर छात्र/छात्रा द्वारा आगामी कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने पर ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। परन्तु 12वीं कक्षा, डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में आगामी कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक नहीं होगा;

4.10 अधिनियम की धारा 17 तथा नियम, 2009 के नियम 45 के प्रावधानानुसार जो हिताधिकारी लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अंशदान जमा नहीं करता है तो वह हिताधिकारी नहीं रहेगा, अतः ऐसे

अंशदान के जमा कराने में चूक करने वाले निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री/पत्नि को योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। परन्तु उपरोक्त धारा एवं नियम के परन्तुक के अधीन हिताधिकार पुनर्स्थापन (restoration) होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।

**5. आवेदन की समय–सीमा तथा स्वीकृति की प्रक्रिया –**

5.1 प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति पाने हेतु निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र–1) में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

5.2 निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।

5.3 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि– आवेदन पत्र कक्षा उतीर्ण करने की तिथि से अधिकतम् 6 माह की अवधि में अथवा तत्पश्चात् आने वाली 31 मार्च तक, जो भी बाद में हो, प्रस्तुत किया जा सकेगा।

5.4 उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी कर छात्रवृत्ति हिताधिकारी के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस/ एनईएफटी) से अथवा अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

**6. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज –**

निर्धारित प्रपत्र में पूरे भरे हुए व सभी पूर्ति किये हुए आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगाः–

6.1 हिताधिकारी के पंजीयन परिचय–पत्र की प्रति।

6.2 हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति।

6.3 हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति। (वैकल्पिक)

6.4 जिस कक्षा या कोर्स के लिए छात्रवृति चाही गई है, उसकी अंकतालिका की स्व प्रमाणित प्रति।

6.5 शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा प्रपत्र के निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर एवं मुहर लगाया जाना आवश्यक है।

**विशेषः–** सक्षम अधिकारी/कार्यालय द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा आवेदक को उसी समय वांछित पूर्ति के लिए लौटा दिये जायेंगे।

**7. योजना का प्रारंभ –**

7.1 यह योजना वर्ष 2014–15 के शैक्षणिक वर्ष की परीक्षा से अर्थात् 1 अप्रेल, 2015 से क्रियान्वित की जायेगी। जिन लाभार्थियों को वर्ष 2014–15 के शैक्षणिक वर्ष की परीक्षा के लिए अप्रेल, 2015 से अब तक मण्डल की विद्यमान योजनाओं के अन्तर्गत हितलाभ दिये जा चुके हैं, उन्हें नई योजना में देय छात्रवृत्ति के अनुसार अन्तर राशि का भुगतान किया जायेगा तथा जिनके आवेदन लम्बित हैं या प्राप्त होते हैं, उन्हें नई योजना की दरों के अनुसार छात्रवृत्ति राशि देय होगी।

परन्तु विद्यमान योजनाओं के अन्तर्गत निस्तारित या लम्बित आवेदनों का निस्तारण इस योजना (निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना) के प्रावधानानुसार आधार या भामाशाह कार्ड की प्रति प्राप्त कर, छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से करना आवश्यक होगा।

7.2 इस योजना के लागू होने की तिथि से शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना, मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना तथा कौशल शक्ति योजना प्रभावी नहीं रहेगी।

**8. विसंगति का निराकरण –**

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।